संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,

ई–5 अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल म0प्र0

क्रमांक 3328 **/ वि.यो.496 / नग्रानि / 2020** **भोपाल, दिनांक** 28/8/ **2020**

सेंधवा विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :–

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सेंधवा

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1. अध्याय–6

6.2 – क्षेत्राधिकार

15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास अनुमति हेतु आवेदन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किए जावेंगे। आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर समूह आवासीय योजना एवं निम्न घनत्व आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर मान्य होगा। परंतु यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है।

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : –

2. अध्याय–6

6.2 – क्षेत्राधिकार

15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास की अनुमति हेतु आवेदन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अंतर्गत स्वीकार्य किए जावेंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म0प्र0, भोपाल